

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में “(1) कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर ,
(2) बॉयलर सहायक और (3) लॉडरी पर्यवेक्षक” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक
सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, “लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता
कृपलानी अस्पताल में “(1) कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर , (2) बॉयलर सहायक और (3) लॉडरी
पर्यवेक्षक” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए, भर्ती
नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II)
कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को
लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई हैं। सकते कर मेल-

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीखः

2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध मशीन ऑपरेटर (लॉन्ड्री) और लॉन्ड्री अटेंडेन्ट के पदों से है; (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (बॉयलर अटेंडेन्ट), भर्ती नियम, 1989; (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (लॉन्ड्री पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर, बॉयलर अटेंडेन्ट और लॉन्ड्री पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर, बॉयलर अटेंडेन्ट और लॉन्ड्री पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता : वह व्यक्ति-**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अनुचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) कनिष्ठ लांड्री ऑफिसर	19* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन विद्या जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुनुसाचिवाय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा</p> <p>18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैतालीस वर्ष की आयु तक शिथल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणि- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअंहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणि- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथल की जा सकती हैं जब अंतिम अंतिम तारीख होनी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपर्युक्त तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्मीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>किसी वडे संगठन की लांड्री में वॉयलर के प्रचलन के कार्य का छह माह का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्राप्त न व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोलन्टि या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोलन्टि या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रोलन्टि या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि विभागीय प्रोलन्टि समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:	लागू नहीं होता।

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:

- उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुनेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष;
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य;
- उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुनेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ii) बाँचलर सहायक	03* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धानीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अवधारन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% द्वारा।	प्रोत्तिः प्रोत्तिः	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:	लागू नहीं होता।
				<p>लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के ऐसे किनिष्ठ लॉन्ट्री ऑपरेटर में से प्रोन्टि, जिन्होंने वेतन बैट्रिक्स में स्टार-1 (18000-56900 रुपए) में घारह वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वर्ष कक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष संस्थान/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक्शन में स्टिफिकेट कोर्स किया हो; और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बाँयलर के प्रचलन का प्रमाण-पत्र रखता है।</p> <p>टिप्पणी: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ यात्रियों की प्रोन्टि पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ यात्रियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्टि के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(iii) लॉन्ड्री पर्यावरक	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपनित, अनुसंचिचीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (25,200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
लागू नहीं होता।	प्रोत्तिवादार।	प्रोन्नति:	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:	लागू नहीं होता।			

लागू नहीं होता।	प्रोत्तिवादार।	प्रोन्नति:	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती बोयलर सहायक में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:	1. उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुनेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष;
			टिप्पण: जहां अहंक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोत्ति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर श्री विचार किया जाएगा वश्यों कि उनकी अहंक या पात्रता सेवा, आवश्यक अहंक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो श्री कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अहंक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य;	3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुनेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।

[ए.11018/18/2017-एमएच ॥(पीटी)]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव भारत सरकार